"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 13, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्रमांक 8275/डी. 187/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-08-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2017.

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, खंड (क) में,-

(क) उप-खण्ड (चार) में, पूर्ण विराम चिन्ह (.) के स्थान पर, अर्ध-विराम चिन्ह (;) प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(पांच) एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्ति;

(छः) कुष्ठ रोग से पीड़ित एवं कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुये व्यक्ति;

(सात) मानसिक रोग से पीड़ित एवं मानसिक रोग से स्वस्थ हुये व्यक्ति;

(आठ) तृतीय लिंग के व्यक्ति;

(नौ) बौना व्यक्ति."

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्रमांक 8275/डी. 187/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2017)

THE CHHATTISGARH NIRASHRITON AVAM NIRDHAN VYAKTIYON KI SAHAYATA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017.

An Act further to amend the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in clause (a),-

(a) In sub-clause (iv), for punctuation full stop (.), the punctuation semi-colon (;) shall be substituted;

(b) after sub-clause (iv), the following shall be added, namely :-

"(v) Person suffering from HIV Aids;

(vi) Person suffering from leprosy and recovered from leprosy;

(vii) Person suffering from mental illness and recovered from mental illness;

(viii) Third Gender person;

(ix) Dwarf."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.